क्रम-संख्या—134

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी० / एल० डब्लू० / एन०पी०—91 / 2014—16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 31 अगस्त, 2020

भाद्रपद 9, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1551 / 79-वि-1—20-1(क)-36-20

लखनऊ, 31 अगस्त, 2020

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2020 जिससे राजस्व अनुभाग—1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 28 अगस्त, 2020 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 2020 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2020

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 2020)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जाएगा। संक्षिप्त नाम